[redacted]

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0230 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/10/2024 22:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	238

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 10/10/2024

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 11:17 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/10/2024 **Time (समय):** 20:15 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 11/10/2024 22:33:02 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 25 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** Permeshwar dairy ki dukan, police thana jhanvar ke samne, jodhpur

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** Aaseen khan
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** Eedu khan
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Mehro ki dhani, Emam nagar rabariya, jodhpur, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Mehro ki dhani, Emam nagar rabariya, jodhpur, JODHPUR CITY, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Shyam lal		पिता:Kewalram	1. hanumannagar,kanasar,Bap, BAP,फलौदी,RAJASTHAN,INDIA
2	Ramchandra		पिता:Nemaram	1. dhyava,NAGAUR,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरों जोधपुर विषयः- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं आसीन खान पुत्र श्री ईदु खान मेहर जाति मुस्लिम मेहरो की ढाणी, इमाम नगर राबडिया जोधपुर मे निवास करता हूं। मै HDFC BANK में कर्मचारी हूं HDFC BANK में कस्टमर का पती जोराराम जिनका लोन HDFC BANK में GROUP LOAN चल रहा है। उन्होनें पहला लोन Close करके वापीस लोन लेने की बात बोली पर उन्होनें लोन Closer का पूरा Amount Group A/C में deposite लेने नही की और ब्राच में आकर लडाई की ओर ओर लोन लेने की बात बोली। पर उन्होनें पहला वाला लोन बंद नही करवाया इसलीए HDFC BANK दुबारा उसकों लोन नही दे सकती। जोराराम और उसकी पत्नी नें जंवर थाना में मेरे खिलाफ जूठी शिकायत कर दी। फिर मुझे जंवर थानें में बुलाया जहां मुझसें बात करी और मुझे धमकाया मेरा मोबाईल भी छील लीया ओर 2 घण्टे बाद वापीस दे दिया श्याम बिश्नाई और रामचन्द्र नें मुझे 30000 /- (तीस हजार) की रिश्वत मांगी तथा हर रोज WhatsApp call नें करके धमका रहे है ओर पेसै मांग रहे है। मै मेरे जायज काम के लिये श्याम बिश्नोई और रामचन्द्र को राशि नही देना चाहता हूं बल्कि उसकों रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्याम बिश्नोई और रामचन्द्र से न कोई पुरानी रंजिश है और न ही कोई पुराना लेन देन बकाया है। कृपया करके कानुनी कार्यवाही करके की कृपा करे। दिनांक 8/10/2024 भवदीय ASEEN KHAN [redacted] कार्यवाही पुलिस उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट श्री आसीन खान पुत्र श्री ईदु खान मेहर जाति मुस्लिम मेहरो की ढाणी, इमाम नगर उम्र 29 साल ने ब्यूरों कार्यालय जोधपुर में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर के समक्ष उपस्थित होकर पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पाया जानें पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। एसडी एसडी एसडी आसिन खान मनीष वैष्णव . चक्रवर्ती सिंह राठौड 08/10/24 समय 12.30 PM 1. एसडी सुनिल कुमार 2. एसडी महेश कार्यवाही पुलिस दिनांक 08.10.2024 समय 12.30 पी.एम. इस समय परिवादी श्री आसीन खान पुत्र श्री ईदु खान जाति मुसलमान उम्र 29 साल निवासी मेहरों की ढाणी, इमाम नगर, राबरिया पुलिस थाना झंवर जिला जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होकर एक हस्त लिखित रिपोर्ट मन् चक्रवर्ती सिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के समक्ष इस आषय की पेष की कि " निवेदन है कि मैं आसीन खान पुत्र श्री देदु खान मेहर जाति मुसलीम मेहरो की ढाणी, इमाम नगर राबडिया जोधपुर मे निवास करता हूं। मै HDFC BANK में कर्मचारी हूं HDFC BANK में कस्टमर का पती जोराराम जिनका लोन HDFC BANK में GROUP LOAN चल रहा है । उन्होनें पहला लोन Close करके वापीस लोन लेने की बात बोली पर उन्होनें लोन Closer का Amount Group A/C में deposite लेने नही की और ब्राच में आकर लडाई की ओर ओर लोन लेने की बात बोली। पर उन्होनें पहला वाला लोन बंद नही करवाया इसलीए HDFC BANK दुबारा उसकों लोन नही दे सकती। जोराराम और उसकी पत्नी नें जंवर थाना में मेरे खिलाफ जूठी शिकायत कर दी। फिर मुझे जंवर थानें मे बुलाया जहां मुझसें बात करी और मुझे धमकाया मेरा मोबाईल भी छील लीया ओर 2 घण्टे बाद वापीस दे दिया श्याम बिश्नाई और रामचन्द्र नें मुझे 30000 /- (तीस हजार) की रिश्वत मांगी तथा हर रोज WhatsApp call नें करके धमका रहे है ओर पेसै मांग रहे है। मै मेरे जायज काम के लिये श्याम बिश्नोई और रामचन्द्र को राशि नही देना चाहता हूं बल्कि उसकों रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्याम बिश्नोई और रामचन्द्र से न कोई पुरानी रंजिश है और न ही कोई पुराना लेन देन बकाया है। कृपया करके कानुनी कार्यवाही करके की कृपा करे।" मजीद दरियाफत् पर परिवादी ने बताया कि उक्त हस्त लिखित रिपोर्ट मैंने लिखी है तथा उक्त रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया। हस्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफत से मामला भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोंधित 2018) का पाया जाने पर कार्यालय में उपस्थित श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया। परिवादी श्री आसीन खान का श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस से परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को अवलोकन करवाया गया। इसके बाद परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को परिवादी की रिपे॰र्ट सुपर्द कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य राजकार्य में व्यस्त हुआ। वक्त 01.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी श्री आसीन खान को मय उसके द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को लेकर अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित हुआ। परिवादी से मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा हस्तलिखित

रिपोर्ट के सम्बन्धमें पूछताछ की गई तो परिवादी नें बताया कि मै एचडीएफसी बैक बासनी मण्डी मोड जोधपुर में सैल्स अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। हमारी बैक शाखा के एक कस्टमर के पत्ति श्री जोराराम ने मेरे विरूद्व पुलिस थाना झंवर में दिनांक 02.10.2024 को एक लिखित रिपोर्ट लोन का झांसा देकर ठगी करनें का परिवाद दिया था। उस परिवाद के जांच अधिकारी श्री श्यामलाल कानि. पुलिस थाना झंवर है। जिनके द्वारा मुझे दिनांक 02.10.2024 को मुझे श्री रामचन्द्र कानि. नें फोन करके थानें पर परिवाद की जांच हेतु दिनांक 03.10.2024 कों थानें पर उपस्थित होने हेतु कहा था। जिस पर मै पुलिस थाना झंवर गया तों मुझे श्री रामचन्द्र कानि. व श्री श्यामलाल कानि. पुलिस थानें के स्वागत कक्ष में मेरे से मिले। वहां पर श्री जोराराम भी उपस्थित था। मेरे द्वारा श्री श्यामलाल व श्री रामचन्द्र कानि. को कहा था कि मेरे विरूद्व श्री जोराराम नें झूठा परिवाद दिया है। मैनें कोई ठगी नही की है। जिस पर श्री श्यामलाल कानि. नें मेरे से मेरा फोन भी ले लिया और करीब 2 घंटे बाद वापिस दिया। और मुझे अकेलें में कहा कि तुझे 30,000 रूपयें देनें होगे। मैनें कहा कि मेरे पास इतनें पैसे नही है। मैने कोई गलत कार्य भी नही किया है। मै आपकों किस चीज के पैसें दूं। मेरे द्वारा पैसा देनें का मना करनें पर मेरे फोन पर श्री रामचन्द्र कानि. पुलिस थाना झंवर के वाटसअप पर कॉल आनें लगे और मुझे कहा कि आपके विरूद्व परिवादी श्री जोराराम की रिपोर्ट पर तूझे थानें में बन्द कर दूंगा। इसके बाद लगातार वाटसटप कॉल करके 30,000 रूपयें रिश्वत राशि मांगनें लगे। मै श्री रामचन्द्र कानि. व श्री श्यामलाल कानि. से परेशान होकर ही एसीबी में कार्यवाही हेतु उपस्थित हुआ हूं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से दरियाफत से सन्तुष्ट होकर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवष्यक होने से कार्यालय के श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक को कार्यालय कक्ष में तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री आसीन खान से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दुसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने की प्रक्रिया परिवादी श्री आसीन खान को समझायी गई। वक्त 02.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर आवश्यक हिदायत के साथ कार्यालय के श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक कों कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवानें हेतु परिवादी श्री आसीन खान के साथ पुलिस थाना झंवर के लिए रवाना किया गया। श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री आसीन खान को रिश्वत राशि मांग सत्यापन पर रवाना करनें से पहलें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर आॅन करके देवे साथ ही सुरक्षित वापिस लाकर मन् निरीक्षक पुलिस को देवे। परिवादी को ब्यूरों कार्यवाही की गोपनीयता बरतनें की हिदायत भी देवे। वक्त 05.30 पी.एम. पर श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक कार्यालय में मय परिवादी श्री आसीन खान के उपस्थित आया और कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपर्द कर बताया कि "मै व परिवादी श्री आसीन खान आज कार्यालय से अपनी अपनी मोटर साईकिल से रवाना होकर समय समय 03.40 पी.एम. पर पुलिस थाना झंवर के पास पहुचे। मेरे द्वारा परिवादी श्री आसीन खान को कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर चालू कर पुलिस थाना झंवर के लिए रवाना किया गया। मै गोपनीय रूप सें थानें के आसपास खडा रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री आसीन खान मेरे पास उपस्थित आया और मुझे डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द किया। जिसकों मैनें बन्द करके स्वीच आॅफ कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा। इसके बाद परिवादी श्री आसीन खान में मुझे बताया कि पुलिस थानें में श्री श्यामलाल कानि. व श्री रामचन्द्र कानि. से रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। मेरे विरूद्व परिवाद पर कोई कार्यवाही नही करनें की एवज में 25,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग की गई है। रिश्वत राशि लेकर आज शाम को ही शास्त्री नगर सर्किल पर रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को आॅन कर परिवादी श्री आसीन खान व आरोपी श्री श्यामलाल कानि. व श्री रामचन्द्र कानि. के बीच हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता कों सुनने व श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री आसीन खान के बतायें गये तथ्यों से परिवादी श्री आसीन खान से आरोपी श्री श्यामलाल कानि. व श्री रामचन्द्र कानि. द्वारा परिवाद पर कार्यवाही नही करनें की एवज में 25,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। परिवादी श्री आसीन खाॅन नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे पास अभी 15000 रूपयें की ही व्यवस्था है और श्री रामचन्द्र कानि. नें 25000 रूपयें लेकर शास्त्री सर्किल पर आज ही बुलाया है। मेरे पास रूपयों की व्यवस्था नही है। जिस पर परिवादी श्री आसीन खान नें कहा कि मै आरोपी श्रीरामचन्द्र कानि. से फोन पर बात कर लेता हू। और पैसों की व्यवस्था नही होनें का कह दे देता हू। जिस पर परिवादी श्री आसीन खान के वाटसअप नम्बर [redacted] से आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. के मोबाईल वाटसअप नम्बर [redacted] पर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर आॅन करके डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक से आॅन करवाकर वार्ता रिकॉर्ड करवाई गई। वार्ता में परिवादी श्री आसीन खान नें कहा कि मेरे पास 15000 रूपयें ही है, जिस पर आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. नें कहा कि बाद में देखतें है। इसके बाद फोन काट दिया। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रासस्क्रिप्ट तैयार की जावेगी। परिवादी की लिखित रिपोर्ट व रिश्वति राशि मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता दिनांक 08.10.2024 से मामला भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का होने से परिवादी के प्रार्थना पत्र पर ट्रेप कार्यवाही करनें का निर्णय लिया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में रखा गया। सम्पूर्ण हालात श्रीमान चक्रवर्ती सिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये।

परिवादी श्री आसीन खान को पूरी रिश्वत राशि 25000 की व्यवस्था करके ही दिनांक 09.10.2024 को कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। वक्त 06.20 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम गोपनीय कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर दो स्वतन्त्र गवाह् उपलब्ध करवाने हेतु एक पत्र श्रीमान उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग संभाग प्रथम जोधपुर के नाम जारी कर कार्यालय पत्रांक 3377 दिनांक 08.10.2024 कार्यालय के विशेष वाहक श्री छैलाराम कानि. के साथ भिजवाया गया। वक्त 07.00 पी.एम. पर कार्यालय अपर आयुक्त प्रशासन राज्य कर संभाग प्रथम जोधपुर से दो स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री महेश वरिष्ठ सहायक कार्यालय के विशेष वाहक श्री छैलाराम कानि. के साथ उपस्थित आये। दोनों गवाहान को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पाबन्द किया कि जब भी मन् निरीक्षक पुलिस का फोन आयें तुरन्त ब्यूरों कार्यालय पहुचे। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाह को दिनांक 09.10.2024 का पाबन्द कर कार्यालय से रूखस्त किया गया। दिनांक 09.10.2024 वक्त 03.30 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री आसीन खान कार्यालय में उपस्थित आया और मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे से 25000 रूपयें रिश्वत राशि की पूरी व्यवस्था नही हो पाई है। मै 15000 रूपयें लेकर ही उपस्थित हुआ हू। इसी दौरान पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाह् श्री सुनिल कुमार व श्री महेश उपस्थित आये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आसीन खान व दोनों स्वतन्त्र गवाह का आपस में परिचय करवाया गया। उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाह् से मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस द्वारा परिचय पुछा तो उन्होने बारी-बारी से अपना परिचय श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री किशनाराम खदाव जाति जाट उम्र 31 साल निवासी ग्राम लूणियास पोस्ट बडगांव तहसील मेडता सिटी जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय वृत्त सी, वाणिज्यिक कर विभाग जोधपुर संभाग प्रथम, मोबाईल नम्बर [redacted] व श्री महेश पुत्र श्री राजेन्द्र जी जाति बिश्नोई उम्र 30 साल निवासी मकान नम्बर 86, इन्दिरा का ॅलोनी, धोबी घाट, पुलिस थाना नागौरी गेट जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय वृत्त सी, वाणिज्यिक कर विभाग जोधपुर संभाग प्रथम, मोबाईल नम्बर [redacted] के रूप में दिया। दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवादी आसीन खान द्वारा दिनांक 08.10.2024 को प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन करवाया गया एवं श्री परिवादी श्री आसीन खान व आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. व श्री श्यामलाल कानि. पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मध्य दिनांक 08.10.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वा ॅयस रिकार्डर में रिकार्ड है, के मुख्य-मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पढकर परिवादी से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य मुख्य अंष सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी तथा परिवादी श्री आसीन खान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वा ॅयस रिकार्डर स्वीच आ ॅफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसी दौरान श्री गोरधन राम उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों इण्टे जोधपुर को दो कानि. ब्यूरों कार्यवाही में इमदाद हेतु यथाशीघ्र चैकी पर भिजवानें हेतु भी निवेदन किया गया। वक्त 04.15 पी.एम. पर दोनों रूबरू गवाहान के परिवादी श्री आसीन खान पुत्र श्री ईदू खान जाति मुसलमान उम्र 29 साल निवासी मेहरों की ढाणी, ईमाम नगर, राबडिया तहसील लूणी पुलिस थाना झंवर जिला जोधपुर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कहा गया जिस पर परिवादी श्री आसीन खान ने भारतीय मुद्रा के पाँच सौ रूपयें के 30 नोट कुल राशि 15,000 रूपये मन् निरीक्षक पुलिस कों पेश किये। परिवादी श्री आसीन खान द्वारा प्रस्तुत नोटों पर कार्यालय के श्री गणेश राम पंवार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्री गणेश राम पंवार वरिष्ठ सहायक मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आयें तथा उक्त 15,000 रूपये के नोटो पर श्री गणेश राम पंवार वरिष्ठ सहायक से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री आसीन खान की जामा तलाषी गवाह् श्री सुनील से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर [redacted], [redacted] व मोटर साईकिल की चाबी परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 15,000 रूपये जो श्री रामचन्द कानि. व श्री श्याम कानि. पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी आसीन खान के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की बांयी जेब में श्री गणेश राम पंवार वरिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री आसीन खान को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। टेªप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. [redacted] पर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सूचना करें। तत्पष्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेश राम पंवार वरिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईष की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर

घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वालें श्री गणेश राम पंवार वरिष्ठ सहायक से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की षीषी को पाउडर लगाने वालें श्री गणेश राम पंवार वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। उक्त फर्द पेशकसी पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 05.00 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा श्री देवाराम कानि .नम्बर 373 व श्री प्रकाश कानि.नम्बर 265 एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर से ब्यूरों कार्यवाही में इमदाद हेतु निर्देशानुसार उपस्थित आये। जिनकों भी ब्यूरों टीम में साथ चलनें हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 05.15 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91, श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373, श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 3352 मय चालक श्री प्रेमसिह कानि. एवं परिवादी श्री आसीन खान मय अपनी निजी मोटर साईकिल से एवं दो मोटर साईकिल ब्यूरों स्टाफ के एवं ब्यूरों के ट्रेप बाॅक्स, लेपटाॅप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वाॅयस टेप रिकाॅर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चोकी जोधपुर से पुलिस थाना झंवर के लिए रवाना हुए। वक्त 08.45 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा कार्यालय एसीबी चैकी जोधपुर मय हमराहीयान के पहुंचे। हालात इस प्रकार से है कि मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरों जाब्ता मय सरकारी वाहन व टेªप बाक्स, डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर, लेपटाॅप व प्रिन्टर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली के समय 7 पी.एम. पर पुलिस थाना झंवर पहुचें। पुलिस थाना झंवर पहुचंकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वाॅयस टेप रिकाॅर्डर श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक से आॅन करवाकर परिवादी श्री आसीन खान को सुपर्द कर रिश्वत राशि लेन देन हेतु पुलिस थाना झंवर के लिए समय 07.15 पी.एम. पर रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता के पुलिस थाना झवर के आसपास गोपनीय रूप से अपनी उपस्थिति छिपा कर खडे हो गये और परिवादी के गोपनीय ईशारा के इन्तजार में मुकीम रहे। समय करीब 7.32 पी.एम. पर परिवादी श्री आसीन खान बिना ईशारा किये ही मन् निरीक्षक पुलिस के पास आया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आसीन खाॅन से डिजीटल वाॅयस टेप रिकाॅर्डर लेकर बन्द कर स्वीच आॅफ किया गया। परिवादी श्री आसीन खान नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि पुलिस थानें के बाहर जाकर मैनें श्री रामचन्द्र कानि. को मेरे फोन से वाटसअप काॅल किया तों श्री रामचन्द्र कानि. नें कहा कि तेजाजी के मन्दिर के पास मिलों। जब मै वहां पर पहुंचा तों वहां पर श्री रामचन्द्र नही आया। जिस पर मैनें पुनः श्री रामचन्द्र कानि. के वाटसअप काॅल किया तों रामचन्द्र कानि. नें कहा कि अभी तों मै निकल गया हूं, सुबह मिलतें है। इसके बाद आज कार्यवाही संभव नही होनें पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता मय हमराहीयान के पुलिस थाना झंवर से रवाना होकर डीपीएस सर्किल पहुचे। जहां पर परिवादी के पेन्ट की बांयी जेब से रिश्वत राशि श्री सुनिल स्वतन्त्र गवाह से निकलवाकर एक सफेद कागज के टुकडे में लपेट कर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपनी सुरक्षित अभिरखा में रखा। परिवादी श्री आसीन खान कों दिनांक 10.10.2024 को समय 9 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत देकर अपनी निजी मोटर साईकिल से डीपीएस सर्किल से रूखसत किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के डीपीएस सर्किल से रवाना होकर एसीबी चैकी जोधपुर पर समय 08.45 पी.एम. पर पहुचे। कार्यालय का डिजीटल वाॅयस टेप रिकाॅर्डर व रिश्वत राशि जो सफेद कागज के टुकडे मे लपेटी हुई है, को मन् निरीक्षक पुलिस नें अपनी अलमारी में सुरक्षित रखा। दोनों स्वतन्त्र गवाह को कार्यालय में दिनांक 10.10.2024 को समय 9 ए.एम. पर उपस्थित होनें हेतु पाबन्द कर कार्यालय से रूखस्त किया गया। ब्यूरों स्टाफ को भी समय 9 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। दिनांक 10.10.2024 वक्त 09.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री आसीन खान एवं दोनों स्वतन्त्र गवाह कार्यालय में उपस्थित आये। ब्यूरों स्टाफ भी पूर्व से पाबन्दशुदा कार्यालय आये। दोनों रूबरू गवाहान के मन् निरीक्षक पुलिस नें अपनी अलमारी में से सफेद कागज के टुकडें में लपेट कर रखी हुई रिश्वत राशि श्री सुनिल कुमार स्वतन्त्र गवाह से सफेद कागज के टुकडे से निकालकर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखवाई गई। सफेद कागज के टुकडे को जलाकर नष्ट करवाया गया। स्वतन्त्र गवाह श्री सुनिल कुमार के दोनो हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके बाद डिजीटल वाॅयस टेप रिकाॅर्डर मन् निरीक्षक पुलिस नें अपनी सुरक्षित अभिरखा में रखा। वक्त 09.30 ए.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री भूरसिंह हैड कानि. नम्बर 91, श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46, श्री प्रकाष कानि. नम्बर 265, श्री देवाराम कानि. नम्बर 373, श्री भरत डूकिया कनिश्ठ सहायक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 3352 मय चालक श्री प्रेमसिह कानि. एवं परिवादी श्री आसीन खान मय अपनी निजी मोटर साईकिल से एवं निजी वाहन कार के एवं ब्यूरों के ट्रेप बाॅक्स, लेपटाॅप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वाॅयस टेप रिकाॅर्डर के एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सहित भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरों चैकी जोधपुर से पुलिस थाना झंवर के लिए रवाना हुए। वक्त 10.30 ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा वक्त 10.30 ए..एम. पर पुलिस थाना झंवर के पहलें पहुचे। जहां पर सरकारी वाहन टवेरा को गोपनीय स्थान पर खडा करवाकर वाहन में श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक व श्री भंवरलाल हैड कानि. व चालक श्री प्रेमसिंह, श्री भूरसिंह हैड कानि., श्री देवाराम कानि. श्री महेश गवाह को छोडकर मन् निरीक्षक पुलिस मय निजी वाहन में श्री छैलाराम कानि., श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक, श्री सुनिल कुमार स्वतन्त्र गवाह, श्री प्रकाश कानि. के पुलिस थानें से 100 मीटर पहलें परिवादी श्री आसीन खान को डिजीटल वा॑यस टेप रिका॑र्डर आ॑न करके अपनी निजी मोटर साईकिल से पुलिस थाना झंवर में रिश्वत राशि लेन देन के लिए समय 10.38 ए.एम. पर रवाना किया गया। व मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रिश्वत राशि लेन देन के गोपनीय ईशारा के इन्तजार में मुकीम हुए। समय 11.17 ए.एम. पर परिवादी श्री आसीन खान मन् निरीक्षक पुलिस, श्री भरत डूकिया कनिश्ठ सहायक, श्री छैलाराम कानि., श्री प्रकाश कानि., स्वतन्त्र गवाह श्री सुनिल कुमार की तरफ दौडता हुआ बिना मिस का॑ल फोन पर किये हुए दौडता हुआ आया और मन निरीक्षक पुलिस कां॓ बताया कि मेरे से रिष्वत राषि श्री रामचन्द्र कानि. नें 15000 रूपये पुलिस थानें के सामनें परमेष्वर डेयरी एण्ड कोल्ड ड्रिक दुकान में प्राप्त कर सामनें गली में भग गया है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आसीन खान से डिजीटल वा॑यस रिका॑र्डर प्राप्त कर श्री भरत डूकिया से स्वीच आफ करवाकर कब्जा ब्यूरों लिया गया। आईन्दा रिश्वत राशि लेन देन की फर्द ट्रं॑ासस्किप्ट तैयार की जावेगी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता के परिवादी को साथ लेकर पैदल ही रामचन्द्र कानि. जिस गली में गया और उस गली में कानि. श्री रामचन्द्र का पीछा किया गया। परन्तु रामचन्द्र कानि. परिवादी के ईषारा नही करनें के कारण पुलिस थानें के सामनें वाली गली में भग गया। इसके बाद रामचन्द्र कानि. के पीछे पीछे ढूढतें हुए श्री भंवरलाल हैड कानि. मय जाब्ता के मय सरकारी वाहन के आरोपी को ढूढनें हेतु फोन कर बुलाया गया। ब्यूरों जाब्ता के सहित मन् निरीक्षक पुलिस नें पुलिस थानें के सामनें वाली गली के आसपास मकानों ईत्यादि में सर्च किया गया। श्री राकेष कुमार सहायक उप निरीक्षक व श्री भंवरलाल हैड कानि. व श्री प्रेमसिंह चालक को सरकारी वाहन सें गंगाणा रोड पर आरोपी श्री रामचन्द्र की तलाष हेतु रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आसीन खान से तसल्ली से पूछा कि आपके द्वारा रिश्वत राशि लेन देन का ब्यूरों जाब्ता को पूर्व निर्धारित मिस का॑ल का ईषारा क्यों नही किया। जिस पर परिवादी श्री आसीन खा॑न नें मन निरीक्षक पुलिस को बताया कि पहलें तो आरोपीगण मुझे थानें पर मिलें। थानें में काफी समय बाद श्री रामचन्द्र कानि. मुझे बाहर लेकर आया और परमेष्वर डेयरी की दुकान पर ले गया। जहां पर आरोपी श्री रामचन्द्र द्वारा चाय का आर्डर दिया। इसके बाद मैनें 15,000 रूपयें रिश्वत राशि श्री ष्यामलाल को देनें हेतु श्री रामचन्द्र कानि. को दी। इसी दौरान आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. द्वारा परमेष्वर डेयरी के अन्दर से॓ बाहर आकर हाथ धोने लगा। जिस पर मुझे घबराहट हुई कि आरोपी श्री रामचन्द्र के हाथ धोने पर उसके हाथ का रंग गुलाबी हो जायेगा और उसकों रिष्वत राषि का पता चल जायेगा। जिस कारण मै आपकों पूर्व निर्धारित ईषारा मिस का॑ल करना भूल गया और दुकान से बाहर आकर दौडता हुआ आपकी तरफ आ गया। इसी दौरान मेरे दौड जानें से श्री रामचन्द्र भी घबराकर अपनें चप्पल वही छोडकर सामने वाली गली मं॓ भग गया। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये फोन श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सम्पूर्ण हालात निवेदन किये गयें। जिस पर श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. को ब्यूरों जाब्ता से तलाष हेतु मन् निरीक्षक पुलिस को निर्देषित किया गया व स्वयं भी एसीबी चैकी जोधपुर से घटना स्थल पुलिस थाना झंवर पर यथा षीघ्र उपस्थित होनें का मन् निरीक्षक पुलिस को बताया। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस व ब्यूरों जाब्ता के आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. की झंवर कस्बे, आसपास खेतों, बाजार, दुकानों, बस स्टैण्ड झंवर के आसपास व जोधपुर डोली रोड पर तलाष की गई। कुछ समय पष्चात् श्री राकेष कुमार सहायक उप निरीक्षक व श्री भंवरलाल हैड कानि. मय सरकारी वाहन व चालक प्रेमसिह के मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित हुए और बताया कि हमारे द्वारा निर्देषानुसार झवर-गंगाणा रोड पर तलाष की गई परन्तु आरोपी श्री रामचन्द्र का कोई पता नही चल सका। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री भंवरलाल हैड कानि. के पुलिस थाना झंवर में सह आरोपी श्री ष्यामलाल कानि. की तलाष हेतु थानें पर आया तो थानें पर श्री महेन्द्रसिह सहायक उप निरीक्षक उपस्थित मिले। मन् निरीक्षक पुलिस नें थानें में आनें के मन्तव्य से अवगत कराया। सहायक उप निरीक्षक नें बताया कि थानाधिकारी श्री मूलाराम अवकाष पर हैं और थानें का कार्यभार मेरे पास ही है। जिस पर श्री महेन्द्रं॑सह सहायक उप निरीक्षक को श्री ष्यामलाल कानि. के बारें में पूछा तो उनके द्वारा थानें पर पता कर बताया कि श्री ष्यामलाल थानें से कुछ समय पहले चाय पीने के लिए बाहर गया हुआ है। जिस पर श्री महेन्द्रसिंह सहायक उप निरीक्षक को श्री ष्यामलाल कानि को थानें पर तलब करनें हेतु बताया गया। जिस पर श्री महेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा अपनें फोन से श्री श्यामलाल कानि. के मोबाईल पर फोन कर थानें पर उपस्थित होनें हेतु निर्देषित किया गया। कुछ समय बाद उपस्थित नही होनें पर उनके द्वारा पुनः फोन किया गया तों श्री श्यामलाल का फोन स्वीच आ॑फ आया। जिस पर श्री महेन्द्रं॑सह सहायक उप निरीक्षक कों श्री श्यामलाल की तलाष हेतु मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा निर्देषित किया गया। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री महेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक से पुलिस थानें के परिवाद रजिस्टर मन् निरीक्षक पुलिस को अवलोकन हेतु उपलब्ध करवानें हेतु निवेदन किया गया। जिनके द्वारा थानें का परिवाद रजिस्टर मन् निरीक्षक पुलिस को अवलोकन करनें हेतु पेष किया। मन् निरीक्षक पुलिस

द्वारा पुलिस थानें के परिवाद रजिस्टर का अवलोकन किया गया तों परिवाद रजिस्टर के भाग तृतीय आॅफ लाईन, एसीपी साहब/एडीसीपी साहब से प्राप्त परिवाद का इन्द्राज किया हुआ है। उक्त भाग तृतीय में क्रम संख्या 01 पर दिनांक 11.01.2024 से क्रम संख्या 39 दिनांक 09.10.2024 तक लगातार क्रम वाईज इद्राज किये हुए है। उक्त इन्द्राज में परिवादी श्री आसीन खान के विरूद्व श्री जोराराम द्वारा दिये गये परिवाद का कहीं पर भी इन्द्राज होना नही पाया गया। जिस पर परिवाद रजिस्टर के भाग तृतीय की क्रम संख्या 01 से 39 तक के पेज की फोटो प्रतियां करवाकर प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित प्राप्त की गई।थानें पर उपस्थित श्री अचल सिंह हैड कानि. से दिनांक 02.10.2024 को परिवाद के पृश्ठांकन के सम्बन्ध में मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तों उसनें बताया कि मैनें दिनांक 02.10.2024 को परिवादी श्री जोराराम के परिवाद पर जांच हेतु श्री ष्यामलाल कानि. को जांच हेतु दिया था। परिवाद के रजिस्टर में उक्त परिवाद के इन्द्राज नही करनें के सम्बन्ध में पूछा तो वो निरूत्तर रहा। इसी दौरान श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री गोरधन राम उप अधीक्षक पुलिस भी पुलिस थाना झंवर में पर्यवेक्षण हेतु उपस्थित आये। इसके बाद मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा पुलिस थानें में श्री ष्यामलाल कानि. व श्री रामचन्द्र कानि. के निवास स्थान की जानकारी प्राप्त की गई तों श्री ष्यामलाल का थानंे के अन्दर ही बैरिक में रहना ज्ञात हुआ। श्री रामचन्द्र का पुलिस थानें के पास ही मोहल्लें में किराये का कमरा लेकर रहना ज्ञात हुआ। श्री रामचन्द्र के मोबाईल नम्बर भी स्वीच आॅफ आनें पर पुलिस थाने से श्री महेन्द्रसिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा श्री रामचन्द्र कानि.के निवास स्थान की जानकारी ली गई। वक्त 03.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस को आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. के पुलिस थानें के पास मोहल्लें में किराये के मकान होनें का पता चला। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री आसीन खान मय श्री भूर सिंह हैड कानि., श्री छैलाराम कानि. एवं पुलिस थानें के कानि. श्री डूंगर सिंह के साथ रामचन्द्र कानि. के किराये के मकान की खाना तलाशी हेतु मय सरकारी वाहन के रवाना हुआ। वक्त 04.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिस थाना झंवर आया और हालात इस प्रकार से है कि उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. के किराये के मकान की खाना तलाशी रूबरू गवाहान व परिवादी के किराये के मकान की खाना तलाशी नियमानुसार ली गई। खाना तलाशी मे आरोपी श्री रामचन्द कानि. के पेन्ट से परिवादी श्री आसीन खान के विरूद्व जोराराम द्वारा दिये गये परिवाद की मूल प्रति भी मिली। जिससे जरिये फर्द पृथक से जब्त की गई। वक्त 04.35पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. रिश्वत राशि लेकर अपनें भाई के साथ जोधपुर शहर में शास्त्रीनगर ईलाके में गया है। जिस पर सूचना विश्वसनीय होनें पर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता श्री भरत डूकिया, श्री छैलाराम कानि., दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के सरकारी वाहन से पुलिस थाना झंवर से जोधपुर के लिए रवाना हुए। वक्त 05.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के वापिस पुलिस थाना आया और हालात इस प्रकार से है कि जोधपुर शहर में स्थित शास्त्रीनगर ईलाके में मारवाड हास्पीटल के पास पहुचे। परन्तु वहां पर कोई पता नही चल सका। जिस पर मय हमराहीयान के वापिस घटना स्थल पुलिस थानें के सामनें पहुचा। वक्त 06.10 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस पुलिस थानें के सामनें परमेश्वर डेयरी पर घटना स्थल का नक्शा मौका परिवादी की निशादेही पर रूबरू गवाहान के मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा हस्तलिखित मूर्तिब कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। घटना स्थल पर आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. परिवादी श्री आसिन खान से रिश्वत राशि 15000 रूपयें लेकर भाग गया था। परन्तु अपनें पहनें हुए लाल रंग के चप्पल वहीं पर छोड कर चला गया था। इस कारण उक्त आरोपी श्री राचमन्द्र के लाल रंग के चप्पल को कब्जा ब्यूरों लिया गया। उक्त कार्यवाही में परिवादी श्री आसीन खान द्वारा ब्यूरों चैकी जोधपुर पर दिनांक 08.10.2024 को एक लिखित रिपौर्ट प्राप्त होनें पर गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी श्री आसीन खान के साथ श्री भरत डूकिया कनिष्ठ सहायक के साथ डिजीटल वाॅयस टेप रिकाॅर्डर सहित पुलिस थानें झंवर पर भिजवाया गया। दिनांक 08.10.2024 को पुलिस थाना झंवर पर दोनों कानि. श्री ष्यामलाल व श्री रामचन्द्र का रूबरू रिष्वत राषि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री आसीन खान से उसके विरूद्व दर्ज परिवाद की जांच में मदद करनें की एवज में 25000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना, दिनांक 09.10.2024 को मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता के ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाना झंवर पर परिवादी को रिश्वत राशि लेन देन हेतु भिजवाना परन्तु आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. द्वारा परिवादी को फोन पर आज दिनांक 10.10.2024 को सुबह रिश्वत राशि लेकर उपस्थित होनें का कहना, आज दिनांक 10.10.2024 को परिवादी श्री आसीन खान को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मय ब्यूरों जाब्ता के झंवर आकर पुलिस थानें पर परिवादी को रिष्वत राषि लेन देन हेतु थानें में भिजवानें पर आरोपी श्री ष्यामलाल व रामचन्द्र कानि. द्वारा परिवादी से मिलना, थोडी देर बाद ही परिवादी को लेकर श्री रामचन्द्र कानि. द्वारा थानें के सामनें परमेष्वर डेयरी पर आना व रिष्वत राषि प्राप्त करना तथा परिवादी द्वारा लेन देन के दौरान परिवादी के असामान्य व्यवहार व घबराहट व एसीबी कार्यवाही की आंषका हो जानें पर रिश्वत राशि सहित अपनें पहनें हुए चप्पल मौके पर ही परमेष्वर डेयरी के सामनें छोड कर भाग जानें व बाद में ब्यूरों स्टाफ द्वारा तलाष करनें के बावजूद भी नही मिलना, पुलिस थानें के परिवाद रजिस्टर में परिवादी श्री आसीन खान के विरूद्व जोराराम द्वारा दिये गये परिवाद का इन्द्राज नही होना ईत्यादि तथ्यों के आधार पर आरोपीगण श्री ष्यामलाल पुत्र श्री केवलराम जाति बिष्नोई उम्र 28 साल निवासी ग्राम नेवा कानासर पुलिस थाना बाप जिला फलोदी हाल कानि. नम्बर 1377 पुलिस थाना झंवर पुलिस

आयुक्तालय जोधपुर एवं श्री रामचन्द्र पुत्र श्री नेमाराम जाति जाट उम्र 26 साल निवासी ध्यावा पुलिस थाना जसवन्तगढ जिला नागौर हाल कानि. नम्बर 927 पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुरका अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रश्टाचार निवारण (संषोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 61, 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 (बी.एन.एस. 2023) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। वक्त 11.15 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस के पास पूर्व से पाबन्द शुदा श्री सन्तोष सोनी मां अम्बे ज्वैलर्स पूर्व से पाबन्द शुदा अपनी दुकान पर हाजिर आया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी मय ब्यूरों जाब्ता श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 के दुकान पर पहुचा। श्री सन्तोष सोनी नें दुकान सें आरोपी श्री रामचन्द कानि. के परिवादी से रिश्वत राशि लेकर भाग जानें के सीसीटीवी फुटेज मोनिटर को चला कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनें मोबाईल से विडियोग्राफी की गई। जिसकी आईन्दा सीडी बनाई जाकर शामिल पत्रावली की जावेगी। बाद कार्यवाही के पुनः पुलिस थाना झंवर पहुचा। दिनांक 11.10.2024 वक्त 12.40 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान ब्यूरों जाब्ता, दोनों स्वतन्त्र गवाहान, सरकारी वाहन मय निजी वाहन, ब्यूरों के लेपटाॅप प्रिन्टर, डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय फर्दात, टेम्प बाक्स के पुलिस थानें में ब्यूरों द्वारा की गई कार्यवाही की रोजनामचा आम में प्रविष्टी कराकर उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पुलिस थानें झंवर से जोधपुर के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी श्री आसीन खान को उसकी निजी मोटर साईकिल सें सुबह 9 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। वक्त 01.30 ए.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान ब्यूरों जाब्ता, दोनों स्वतन्त्र गवाहान, सरकारी वाहन, निजी वाहन, परिवादी की मोटर साईकिल सहित ब्यूरों के लेपटाॅप प्रिन्टर, डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली मय फर्दात, टेम्प बाक्स के सहित एसीबी चैकी जोधपुर पहुंचा। पत्रावली व फर्दात ईत्यादि सुरक्षित कार्यालय में रखे गये। आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. के घटना स्थल पर चप्पल भी कब्जा ब्यूरों लिये गये। जिन्हे मालखाना में श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100 को जमा करवाया गया। एसीबी चैकी जोधपुर पहुंच कर दोनों स्वतन्त्र गवाह को सुबह 9 ए.एम. पर चोकी पर उपस्थित होनें हेतु पाबन्द कर कार्यालय से रूखस्त किया गया। ब्यूरों स्टाफ को भी सुबह 9 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें हेतु पाबन्द किया गया। वक्त 09.10 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री सुनिल कुमार एवं श्री महेश एवं परिवादी श्री आसिन खान एव ब्यूरों स्टाफ कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 09.15 ए.एम. पर परिवादी श्री आसिन खान एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 08.10.2024 को परिवादी श्री आसिन खान एवं आरोपी श्री श्यामलाल कानि. एवं श्री रामचन्द्र कानि. पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मध्य रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 08.10.2024 को परिवादी श्री आसिन खान एवं आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. पुलिस थाना झंवर के मध्य मोबाईल पर वाटसअप काॅल पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वाॅयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वाॅयस रिकार्डर कों जिसके मेमोरी कार्ड में उक्त मांग सत्यापन वार्ता रिकाॅर्ड है, मन् निरीक्षक पुलिस नें सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकाॅर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर आॅपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें काॅपी कर उक्त रिकाॅर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वाॅयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादी श्री आसिन खान ने अपनी व दुसरी व तीसरी आवाज आरोपी श्री रामचन्द्र एवं श्री श्यामलाल कानि. पुलिस थाना झंवर की होना बताया। उक्त वार्तालापों की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन डब सीडीयां तैयार की। तीन डब सीडीया में से दो डब सीडी आरोपीगण व एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी के लिए तैयार की गई। तीनों डब सीडीयों को खुला ही रहने दिया गया। तीनों डब सीडीयों को श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। वक्त 11.35 ए.एम. पर परिवादी श्री आसिन खान एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 09.10.2024 को परिवादी श्री आसिन खान एवं आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मध्य मोबाईल पर वाटसअप काॅलिग वार्ता, दिनांक 10.10.2024 को परिवादी श्री आसिन खान एवं आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. एवं श्यामलाल कानि. पुलिस थाना झंवर के मध्य रूबरू रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वाॅयस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वाॅयस रिकार्डर कों मन् निरीक्षक पुलिस नें सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकाॅर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर आॅपरेटर श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें काॅपी कर उक्त रिकाॅर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्टं रिश्वत राशि लेन देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता एवं रूबरू वार्ता तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वाॅयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं में एक आवाज परिवादी श्री आसिन खान ने अपनी व दुसरी व तीसरी आवाज आरोपी श्री रामचन्द्र एवं श्री श्यामलाल कानि. पुलिस थाना झंवर की होना बताया। उक्त वार्तालापों की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन डब सीडीयां तैयार की। तीन डब सीडीया में से दो डब सीडी आरोपीगण व एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी के लिए तैयार की गई। तीनों डब सीडीयों को खुला ही रहने दिया गया। तीनों डब सीडीयों को श्री भंवरलाल हैड

कानि. नम्बर 100 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। कार्यवाही के दौरान ही श्रीमति सीता महिला कानि. को आरोपीगण का सेवा विवरण लानें हेतु मय तहरीर के पुलिस आयुक्तालय जोधपुर रवाना किया। वक्त 03.30 पी.एम. पर परिवादी श्री आसिन खान एवं आरोपी श्री श्यामलाल कानि. व श्री रामचन्द्र कानि. पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन व रिश्वत राशि लेन देन वार्ताए डिजीटल वा ॅयस रिका ॅर्डर के मेमोरी कार्ड में दिनांक 08.10.2024, 09.10.2024, 10.10.2024 को रिका ॅर्ड की गई थी, उक्त डिजीटल वा ॅयस रिका ॅर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड को जरिये फर्द जब्ती पृथक से मूर्तिब कर एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगत के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मेमोरी कार्ड को श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100 को सुपर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। इसी दौरान श्रीमति सीता महिला कानि. आरोपी श्री श्यामलाल कानि. व श्री रामचन्द्र कानि. का सेवा विवरण लेकर उपस्थित आई है। जिससे शामिल पत्रावली किया गया। साथ ही परिवादी श्री आसिन खान द्वारा आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. से वाटसटप काल से ही वार्ताए की गई है। इस कारण परिवादी के फोन से वाटसअप से स्क्रीनशा ॅट रूबरू गवाहान लिये जाकर जरिये फर्द शामिल पत्रावली किये गये। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री आसिन खान की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 08.10.2024 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री श्यामलाल कानि. नम्बर 1377 पुलिस थाना झंवर एवं श्री रामचन्द्र कानि. नम्बर 927 ने परिवादी श्री आसिन खान के विरूद्व पुलिस थाना झंवर में श्री जोराराम द्वारा दर्ज परिवाद में मदद करनें की एवज में में 25,000 रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना व दिनांक 10.10.2024 कों 15,000 रूपयें रिश्वत राशि श्री रामचन्द्र कानि. नम्बर 927 द्वारा परिवादी से प्राप्त कर परिवादी के घबरा जानें व असामान्य व्यवहार एवं एसीबी की आंशका के चलतें परिवादी बिना ईशारा किये ही भाग कर ब्यूरों टीम के पास आ गया, इसी दौरान श्री रामचन्द्र कानि. 15000 रूपयें रिश्वत राशि सहित भाग गया। जिससे ब्यूरों जाब्ता नें झंवर कस्बें, बाजार, बस स्टैण्ड ईत्यादि जगहों पर ढूढा गया परन्तु वह नही मिला। इसी दौरान थानें से श्री श्यामलाल कानि. भी ब्यूरों टीम की कार्यवाही की भनक लगनें से थानें से पूर्व से ही गायब हो गया। थानें पर जाकर परिवाद रजिस्टर का अवलोकन किया गया तों परिवादी श्री जोराराम द्वारा दिये गये परिवाद का परिवाद रजिस्टर में इन्द्राज होना नही पाया गया। दौराने कार्यवाही श्री रामचन्द्र कानि. के झंवर कस्बें में स्थित किराये के मकान से खाना तलाशी में परिवादी के विरूद्व श्री जोराराम द्वारा दिये गये मूल परिवाद आरोपी रामचन्द्र कानि. के पेन्ट की जेब सें रूबरू फर्द जब्ती किया गया। उक्त परिवाद पर थानें के श्री अचलसिंह हैड कानि. द्वारा दिनांक 02.10.2024 को दिनांक सहित पृष्टाकन कर जांच हेतु श्री श्याम लाल कानि. नम्बर 1377 को जांच हेतु दिया गया है परन्तु उक्त परिवाद का रजिस्टर में इन्द्राज नही है। पुलिस थाना झंवर के सामनें परमेश्वर डेयरी के पास मां अम्बे ज्वैलर्स के आगे सीसीटीवी फुटेज प्राप्त यि े गये तों उससे पाया गया कि परिवादी श्री आसिन खां बिना ईशारा किये ही आरोपी श्री रामचन्द्र कानि. को रिश्वत राशि देकर भाग गया था, जिस पर परिवादी के भाग जानें पर श्री रामचन्द्र कानि. भी रिश्वत राशि सहित भाग गया। दोनों ही आरोपीगण ब्यूरों की कार्यवाही की भनक लगनें से अभी तक पकड में नही आयें है। दोनों ही आरोपीगण का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61, 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 का जुर्म प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपीगण श्री श्यामलाल पुत्र श्री केवलराम जाति बिश्नोई उम्र 28 साल निवासी ग्राम नेवा कानासर पुलिस थाना बाप जिला फलोदी हाल कानि. नम्बर 1377 पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर एवं श्री रामचन्द्र पुत्र श्री नेमाराम जाति जाट उम्र 26 साल निवासी ध्यावा पुलिस थाना जसवन्तगढ जिला नागौर हाल कानि. नम्बर 927 पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61, 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 (बी.एन. एस. 2023) में दण्डनीय होने से इनके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (मनीष वैष्णव) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं धारा 61, 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपी 1. श्री श्याम लाल पुत्र श्री केवलराम उम्र 28 साल निवासी गा्रम हनुमाननगर कानासर पुलिस थाना बाप जिला फलोदी हाल कानि0 नम्बर 1377 पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर 2. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री नेमाराम उम्र 26 साल निवासी ध्यावा पुलिस थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर हाल कानि0 नम्बर 927 पुलिस थाना झंवर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री पदमपाल सिंह पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस0यू0 जोधपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 656 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक. प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1248-51 दिनांक 11.10.2024 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर-प्रथम। 2.पुलिस उपायुक्त पश्चिम आयुक्तालय जोधपुर। 3.उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। पुलिस अधीक्षक.प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** PADAMPAL SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]/2024 2[illegible]2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				
2	Male	1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)